बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

हिन्दी पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना

सूचना

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, बिहार द्वारा संचालित, पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान प्रदान करने के निमित्त हिन्दी साहित्य की विविध विधाओं में अप्रकाशित उत्कृष्ट मौलिक पांडुलिपियाँ आमंत्रित की जाती है।

वैसे लेखक, जो अपनी कृति का प्रकाशन अर्थाभाव के कारण करा सकने में असमर्थ हैं, अपनी अप्रकाशित पांडुलिपि (पांडुलिपि का नाम, पृष्ठांकन कुल पृष्ठ संख्या सहित, बाइंडिंग एवं स्पष्ट टंकित अथवा हस्तलिखित) दो प्रतियों में दिनांक 31.07.2019 तक निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, सी/211, ऑफिसर्स हॉस्टल, (बिहार म्यूजियम के सामने) बेली रोड, पटना-800001 को उपलब्ध करा सकते हैं। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.csd.bih.nic.in पर देखी जा सकती है।

इस योजना का कार्यान्वयन निम्न शर्तों के तहत किया जाएगा -

1. अनुदान हेतु पांडुलिपियों का चयन तथा अनुदान राशि का निर्धारण उनकी स्तरीयता एवं गुणवत्ता के आधार पर किया जाएगा। इस सम्बन्ध में सरकार का निर्णय सर्वमान्य होगा।
2. अनुदान की स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई बाह्य अनुशंसा स्वीकार्य नहीं होगी।
3. शोध प्रबंध पर प्रकाशन अनुदान देय नहीं होगा।
4. 100 (सौ) पृष्ठों से कम की पांडुलिपि पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. अस्पष्ट/अपठनीय तथा अस्त-व्यस्त (not properly bond) पांडुलिपियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. अस्वीकृत पांडुलिपियां लेखकों के अनुरोध पर विभाग द्वारा लौटा दी जायेंगी।
7. अनुदान-प्राप्त पांडुलिपि विभाग की धरोहर होगी और उसकी एक प्रति लेखक के अनुरोध पर लौटाई जा सकेगी।
8. प्रकाशित पुस्तक की तीन प्रतियाँ विभाग को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी।
9. अनुदान-प्राप्ति के एक वर्ष के भीतर पुस्तक प्रकाशित नहीं करने की स्थिति में अनुदान की सम्पूर्ण राशि एकमुश्त मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग को लौटानी होगी। ऐसा नहीं करने पर विधिक कार्रवाई द्वारा राशि की वसूली की जाएगी। अनुदान प्राप्ति के लिए लेखक को अपने बैंक खाते से संबंधित जानकारी आवेदन के विहित-प्रपत्र के साथ समर्पित करना आवश्यक होगा।
10. विभाग द्वारा यदि किसी लेखक को पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान पूर्व में प्राप्त हो चुका है, तो उन्हें 5 वर्षों के बाद ही दुबारा अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा।
11. लेखक द्वारा इस आशय का घोषणा-पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा कि उन्हें विगत पाँच वर्षों में मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग द्वारा पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान प्रदान नहीं किया गया है।
12. हिन्दी पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान हेतु आवेदन इस विज्ञापन के साथ प्रकाशित विहित-प्रपत्र (सुस्पष्ट हस्थलिखित/कम्प्यूटर टाईप) में ही स्वीकार्य होगा।

10/6/15

(इम्तियाज अहमद करीमी)
निदेशक
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग
बिहार, पटना-800001

E:-रतीश-पंकज (2019)\Vijay Prakash Sinha\HINDI P P A Y (2019-20).doc

हिन्दी पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना, 2019–20

आवेदन–पत्र

सेवा में,

निदेशक,
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग,
सी/211, आफिसर्स हॉस्टल,
(बिहार म्यूजियम के सामने)
बेली रोड, पटना–800001

पारपत्र आकार का फोटो

1. लेखक/कवि का नाम (बैंक खाते में दर्ज नाम) :
   (हिन्दी में) : .....
   अंग्रजी के बड़े (Capital) अक्षरों में : .....
2. लेखक/कवि का लेखकीय नाम : .....
3. पिता/पति का नाम : .....
4. पूरा पता : .....
   .....
   ..... पिन कोड | | | | | | |
   मोबाईल/फोन नं० (स्थानीय कोड सहित) : .....
   ई–मेल : .....
5. पांडुलिपि का विवरण :
   नाम : .....
   विधा : ....., पृष्ठों की कुल संख्या :.....
6. बैंक खाता विवरण :
   बैंक का नाम : ..... शाखा का नाम : .....
   खाता संख्या : ..... आई.एफ.एस.सी. कोड : .....
7. मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग द्वारा पूर्व में यदि अनुदान प्राप्त हुआ हो तो अनुदान प्राप्ति का वर्ष : .....
8. **घोषणा** : मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि विगत पाँच वर्षों के भीतर मुझे मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग का हिन्दी पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए मेरे द्वारा जमा की जा रही पांडुलिपि मेरी मौलिक एवं अप्रकाशित कृति है। इसमें कहीं भी प्रकट या प्रच्छन्न रूप से किसी व्यक्ति/जाति/वर्ग/समुदाय/धर्म/सरकार आदि के विरूद्ध व्यक्तिगत/द्वेषपूर्ण/आपत्तिजनक/राष्ट्रीय एकता के विरूद्ध टिप्पणी नहीं की गयी है।

   पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान के लिए निर्धारित सभी शर्तें मुझे मान्य हैं।

स्थान : ....

दिनांक : ..... (आवेदक का पूरा हस्ताक्षर)

10/6/19